दैनिक भास्कर
रायपुर 25-07-2025

ऑनलाइन सट्टाः सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

बिलासपुर | सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में लंबित चार अलग-अलग जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर लिया कि सभी याचिकाओं में विषय समान है और उन्हें एकसाथ सुनना न्यायहित में होगा। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर अब सुको में ही सुनवाई होगी। प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाकर मांग की थी कि अलग-अलग हाई कोर्ट में लंबित सभी जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित किया जाए ताकि एक समान निर्णय हो सके। इन मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज, सुनील नामदेव समेत गुजरात और बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित दो जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।